दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित: 14.01.2010
निर्णय की तिथि: 25.01.2010

आप.अ. सं. 108/1997

शीश पाल **..... अपीलार्थी**

द्वारा: श्री गुरबक्श सिंह, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य **..... प्रत्यर्थी**

द्वारा: श्री पवन शर्मा, स्थायी अधिवक्ता

कोरम:-

माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. सिकरी
माननीय न्यायमूर्ति श्री अजीत भरिहोक

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ
2. क्या संवाददाताओं को संदर्भित किया जाना है? हाँ
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

न्या. अजीत भरीहोक

1. वर्तमान अपील पुलिस स्टेशन डाबरी में दर्ज प्राथमिकी सं.19/1994 से सम्बंधित सत्र मामला सं. 29/1996 में 6 फ़रवरी, 1997 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के निर्णय, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सुश्री मलका

की हत्या के अपराध का दोषी ठहराया गया है और सज़ा के बाद 7 फ़रवरी, 1997 के आदेश, जिसमें अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और रू. 1000/- का जुर्माना भी लगाया गया था, और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के लाभ के साथ छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, के विरुद्ध दायर की गयी है।

2. संक्षेप में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सुश्री मलका (जिसे एतद पश्चात "मृतक" कहा गया है) की शादी अपीलार्थी से हुई थी और वे नई दिल्ली की पालम कॉलोनी में शिव मंदिर के पास मकान सं. डब्ल्यू ज़ेड- 810 ए में रह रहे थे। यह आरोप लगाया गया है कि 9 जनवरी, 1994 की शाम को उपरोक्त निर्दिष्ट मकान में शाम को लगभग 7 बजे, अपीलार्थी और सह-अभियुक्त राज कुमारी (जिसे जाँच के दौरान गिरफ़्तार नहीं किया जा सका था) ने अपने साझे इरादे को अंजाम देते हुए मृतक पर मिट्टी तेल छिड़ककर और आग लगाकर उसकी हत्या कर दी।

3. उक्त घटना की जानकारी पुलिस स्टेशन पालम कॉलोनी को डीडी सं. 35 (प्रद. अभि.सा. 8/क) के माध्यम से दी गई थी। हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि उक्त डीडी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि किसी ने सूचित किया था कि पालम गाँव के शिव मंदिर के पास के मकान सं. डब्ल्यू ज़ेड- 810 ए के एक किरायेदार ने अपने आप पर मिट्टी का तेल डालने के बाद खुद को आग लगा ली और उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। डीडी रिपोर्ट की

एक प्रति सहायक उप-निरीक्षक वी.पी. सिंह (अभि.सा.8) को सत्यापन के लिए सौंपी गई और वह कॉन्स्टेबल भूप सिंह के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गए, जहाँ उन्होंने पाया कि घायल सुश्री मलका को उनके पति द्वारा अस्पताल ले जाया गया था। इस पर उन्होंने पालम कॉलोनी पुलिस चौकी से संपर्क किया। उस समय तक घायल को पहले ही सफ़दरजंग अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था और सफ़दरजंग अस्पताल में तैनात ड्यूटी कॉन्स्टेबल द्वारा पुलिस चौकी पालम कॉलोनी को इस संबंध में सूचना दे दी गई थी, जिसे डी.डी. सं. 41 (प्रद.अभि.सा.14/क) के रूप में दर्ज किया गया था। उप-निरीक्षक वेद सिंह ने अभि.सा.8 को घटना स्थल पर रहने का निर्देश दिया और बताया कि वह अस्पताल जा रहे हैं।

4. उप-निरीक्षक वेद सिंह ने सफ़दरजंग अस्पताल पहुँचने पर मृतक सुश्री मलका (प्रद.अभि.सा.18/क) की एम.एल.सी. प्राप्त की, जिस पर डॉक्टर प्रदीप टंडन (अभि.सा.18) ने रोगी द्वारा बताए अनुसार, जले हुए घावों का विवरण दर्ज किया था, जब उसके पति और जेठानी ने उसे पकड़ लिया था और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया था और उसे आग लगा दी थी। पीड़िता को डॉक्टर एस.दास द्वारा दोपहर 10.15 पर बयान देने लायक हालत में घोषित किया गया और एस.आई. वेद सिंह ने उसका बयान, प्रद.अभि.सा.16/क दर्ज किया, जिसमें उसने खुलासा किया कि उसकी जेठानी राज कुमारी (अपीलार्थी के बड़े भाई की पत्नी) और उसका पति उसकी दुर्दशा के लिए ज़िम्मेदार

थे। उसने खुलासा किया कि उसकी जेठानी राज कुमारी ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था, और अपीलार्थी ने उसे आग लगाई थी। चूँकि मृतक द्वारा दिए गए बयान में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ था, इसलिए उप निरीक्षक वेद सिंह ने उक्त बयान में अपना पृष्ठांकन प्रद.अभि.सा.19/क जोड़ा और इसे कॉन्स्टेबल जय राम द्वारा मामले दर्ज करने के लिए पुलिस थाने को दोपहर 10.25 पर भेज दिया। उक्त बयान के आधार पर, जिसे डॉक्टर श्री राम चंदर दास, अभि.सा.17 द्वारा भी सत्यापित किया गया था, पुलिस थाने में दोपहर 11.10 पर एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में एक डी.डी रिपोर्ट सं.33 भी दर्ज की गई थी।

5. घटना के बारे में क्षेत्र के एस.डी.एम. को भी सूचना भेजी गई थी और मृत्यु की घोषणा दर्ज करने के लिए उनकी सहायता माँगी गई थी। हालाँकि, एस.डी.एम. 9 और 10 जनवरी, 1994 की दरम्यानी रात को 12.15 पूर्वाह्न पर अस्पताल पहुँचे और उस समय तक मृतक की हालत बिगड़ चुकी थी और उसे बयान देने के लिए अस्वस्थ घोषित कर दिया गया था। बाद में, उसी रात 1.05 पूर्वाह्न पर मृतक की मृत्यु हो गई।

6. जाँच अधिकारी ने अस्पताल से घटना स्थल का दौरा किया। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर उन्हें एक चूल्हा प्रद.सा.1, तवा प्रद.सा.2, कपड़े प्रद.सा.3, माचिस की डिब्बी प्रद.सा.4, एक और माचिस की डिब्बी प्रद.सा.5, जली हुई माचिस की तिल्ली प्रद.सा.6, चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े प्रद.सा.7 और एक रजाई प्रद.सा.8 मिली, जो वहाँ पड़ी थीं,

जिन्हें ज़ब्त कर लिया गया। घटनास्थल का मौका-ए-नक्शा भी तैयार किया गया था और जाँच अधिकारी ने घटना स्थल की तस्वीर खींची थी। जाँच की आवश्यक औपचारिकताओं के समापन पर, अपीलार्थी के खिलाफ़ भा.दं.सं. की धारा 302/34 के तहत एक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें उसकी सह-अभियुक्त राज कुमारी को "भगोड़ा" दिखाया गया था।

7. अपीलकर्ता पर भा.दं.सं. की धारा 34 के सह-पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। उसने खुद के निर्दोष होने का दावा किया और मुकदमा चलाने की माँग की।

8. अपीलार्थी के दोष को सामने लाने के लिए, अभियोजन ने 19 से भी अधिक साक्षियों से पूछताछ की। इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल मृतक द्वारा की गई दो कथित मृत्युकालिक कथन पर आधारित है। कहा गया है कि पहला मृत्युकालिक कथन अभि.सा.18 डॉ. प्रदीप टंडन की उपस्थिति में दर्ज किया गया था, जो मृतक की जाँच करने वाले पहले डॉक्टर थे और जिन्होंने मृतक की एम.एल.सी. तैयार की थी। कहा गया है कि दूसरा मृत्युकालिक कथन मृतक द्वारा जाँच अधिकारी की उपस्थिति में दिया गया था, अर्थात, उसका बयान प्रद.अभि.सा.16/क, जो मामले को दर्ज करने का आधार बना। अभियोजन पक्ष ने अपराध के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए मृतक के जेठ और ननद, क्रमशः अभि.सा.1 खुशी राम, अभि.सा.2 छतर सिंह

और अभि.सा.3 इंद्रावती से पूछताछ की, लेकिन वे तीनों अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने में विफल रहे और मुकर गए।

9. अपीलार्थी द्वारा द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने बयान में दिया गया बचाव यह है कि मृतक ने आत्महत्या की थी और अपीलार्थी घटना के समय वहाँ मौजूद भी नहीं था। अपने बचाव के समर्थन में, अपीलार्थी ने अपने मकान मालिक प्रेम सिंह, प्रद.ब.सा.1 से पूछताछ की, जिसने शपथ लेकर कहा कि अपीलार्थी उसका किरायेदार था। 09.01.94 पर लगभग 7 या 7:30 अपराह्न पर, अपीलार्थी उसके साथ उसके कमरे में बैठा था और वे टी.वी. देख रहे थे। इस बीच, दूसरे किरायेदार सत्ते ने आकर बताया कि अपीलार्थी के कमरे से कुछ धुआँ निकल रहा है। इस पर वे अपीलार्थी के कमरे में गए और पाया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो मृतक ने दरवाज़ा खोला और वह आग की लपटों में झुलस रही थी। उसने उसके चारों ओर एक रजाई लपेटकर आग को बुझा दिया। प्रद.ब.सा.1 ने आगे कहा कि उसने पी.सी.आर. को सूचित किया और अपीलार्थी अपनी पत्नी को एम्बुलेंस में अस्पताल ले गया। उसने आगे कहा कि उसी रात पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मृत्यु घोषणा से संबंधित विधि सुस्थापित है। मृत्यु कथन के आधार पर किसी मामले में सफल होने के लिए अभियोजन पक्ष को न केवल यह भली प्रकार स्थापित करने की आवश्यकता है कि मृत्यु

कथन वास्तव में मृतक द्वारा दी गई थी, बल्कि यह भी स्थापित करना होगा कि बयान सच्चा था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा मामले में, प्रद.ब.सा.1 प्रेम सिंह के परिसाक्ष्य से यह स्थापित होता है कि मृतक ने वास्तव में आत्महत्या की है, जिसकी संपुष्टि डी.डी. सं.35 (प्रद.अभि.सा.8/क) से मिलती है, जो पुलिस को घटना की प्राप्त पहली जानकारी है। इसलिए, मृत्यु कथन की सच्चाई, जिसकी पुष्टि नहीं की गई है, संदेह के घेरे में आती है। इस तरह, उन्होंने हमसे अपीलार्थी को संदेह का लाभ देने का आग्रह किया है। इस तर्क के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य,** *ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 22* **और पानीबेन बनाम गुजरात राज्य**, *(1992) 2 एस.सी.सी. 474* के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर और **गीता और अन्य बनाम राज्य**, *163 (209) दिल्ली लॉ टाइम्स 268* के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय को आधार बनाया है।

11. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि घटना 09.01.94 को लगभग 7 अपराह्न पर हुई थी और एम.एल.सी. प्रद.अभि.सा.18/क के अनुसार, मृतक 8:10 अपराह्न पर अस्पताल पहुँची थी। अभि.सा.18 डॉ. प्रदीप टंडन के अनुसार, मृतक ने खुद अपने जलने का वाक्या बताया और कहा कि उसके पति और उसकी जेठानी राज कुमारी ने उस पर मिट्टी का तेल डालने के बाद उसे आग लगा दी थी। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि उस समय

मृतक का कोई मित्र या रिश्तेदार वहाँ मौजूद नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अभि.सा.18 डॉ. प्रदीप टंडन एक असंबद्ध व्यक्ति हैं जिनके पास अपीलार्थी के खिलाफ़ ऐसा कहने का कोई निजी कारण नहीं था। इसके अलावा जब एम.एल.सी. दर्ज की गई, तो जाँच अधिकारी भी वहाँ मौजूद नहीं थे। इसलिए, मृत्यु कथन की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने जाँच अधिकारी, उप.नि. वेद सिंह, अभि.सा.19 द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा प्रद.अभि.सा.16/क के संबंध में इसी तरह के तर्क दिए हैं। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि विद्वत विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए मृत्यु घोषणा पर सही निर्भर किया है।

12. हमने प्रतिद्वंद्वी के तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख को पढ़ा है।

13. यहाँ तक कि यदि उपरोक्त संदर्भित मृत्यु कथन को ठीक ढंग से दर्ज किया भी गया है, तो भी इस मामले में सफल होने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि मृतक द्वारा की गई उपरोक्त मृत्यु कथन सत्य थे। अभियोजन पक्ष का कहना है कि अपराध का उद्देश्य अपीलार्थी का अपनी भाभी राज कुमारी (फरार सह-अभियुक्त) के साथ विवाहेतर संबंध था, जिस पर मृतक ने आपत्ति जताई थी। इस मामले में, एक संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मृतक, उपरोक्त कारण से इतनी उदास थी कि उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया और अपीलार्थी और उसकी सह-अभियुक्त राज कुमारी से बदला लेने के लिए, उसने अभि.सा.18 डॉ. प्रदीप टंडन और

जाँच अधिकारी, उप. नि. वेद सिंह, अभि.सा.19 को दिए गए अपने बयानों में उन्हें अपने जलने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्तियों के रूप में नामित किया।

14. अभियोजन पक्ष की दलील के अनुसार, घटना के बारे में प्रथम सूचना पुलिस चौकी पालम कॉलोनी, नई दिल्ली में 09.01.94 को 07:22 अपराह्न पर प्र.डी.डी. सं.35 के माध्यम से प्राप्त हुई थी जो अभिलेख पर प्र.अभि.सा.8/क है, जो निम्नानुसार हैः

> "समय: 19-22 घंटे
>
> इस समय, 4.80 ने वायरलेस द्वारा सूचित किया कि पालम गाँव के शिव मंदिर के पास मकान सं. डब्ल्यूज़ेड-810-ए के किरायेदार ने अपने आप पर मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद खुद को आग लगा ली थी और हालत काफ़ी गंभीर है- एचसी सत्य पाल, 217 पी.सी.आर. द्वारा। वायरलेस सूचना प्राप्त होने पर रिपोर्ट रोज़नामचा में दर्ज की गई थी।"

15. यदि इस डी.डी. रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो ज़ाहिर है कि मृतक ने आत्महत्या की है। ब.सा.1 प्रेम सिंह ने अपने परिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के समय अपीलार्थी उसके साथ उसके कमरे में बैठा था और टी.वी. देख रहा था और वे घटना स्थल तब पर गए जब उसका दूसरा किरायेदार सत्ते आया और उसने उन्हें बताया कि अपीलार्थी के कमरे धुआँ निकल रहा था और जब वे वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने पाया कि कमरा अंदर से बंद था और उनके खटखटाने पर मृतक ने दरवाज़ा खोला, और तब वह पहले से ही आग

की लपटों में थी। ब.सा.1 ने यह भी कहा कि उसने पुलिस को उपरोक्त जानकारी से अवगत कराया है। इस प्रकार, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ब.सा.1 प्रेम सिंह सच बोल रहा है और उसने पुलिस को उक्त जानकारी दी, जिसे डी.डी. रिपोर्ट प्र.अभि.सा.8/क के रूप में दर्ज किया गया। ब.सा.1 प्रेम सिंह ने यह भी कहा कि उसने मृतक के शरीर पर रजाई लपेटकर आग बुझाई। उसके उपरोक्त कथन को इस तथ्य से भी संपुष्टि मिलती है कि घटना स्थल के निरीक्षण पर, जाँच अधिकारी को वहाँ एक रजाई पड़ी मिली थी। इन परिस्थितियों में डॉ. प्रदीप टंडन-अभि.सा.18 या उप.नि. वेद सिंह-अभि.सा.19 की उपस्थिति के कारण मृतक की घातक चोटों से संबंधित मृत्यु बयान की सत्यता के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। हमारे विचार में, इस बात की प्रबल संभावना है कि अपीलार्थी के अपनी भाभी के साथ विवाहेतर संबंध से तंग आकर, मृतक, जो अपीलार्थी की पत्नी थी, ने आत्महत्या करने का गंभीर कदम उठाया होगा और उन्हें दंडित करने के उद्देश्य से, उसने उन्हें अपनी जले की चोटों के लिए दोषी ठहराया होगा, जो अंततः घातक साबित हुई।

16. **खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य**, *ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 22* में, सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु कथनों के संबंध में सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया है :

> "16.....(1) यह विधि के अंतिम नियम के रूप में माना नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता जब तक कि यह संपुष्ट

न हो जाए; (2) कि प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों के आधार पर उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माना जाना चाहिए जिनमें मृत्यु कथन दिया गया था; (3) यह एक आम प्रस्ताव के रूप में माना नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु घोषणा अन्य साक्ष्यों की तुलना में कमज़ोर साक्ष्य है; (4) कि मृत्यु कथन किसी अन्य साक्ष्य के समान स्तर पर होता है और इसका मूल्यांकन आस-पास की परिस्थितियों और साक्ष्यों की महत्ता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए; (5) यह कि एक मृत्यु घोषणा जो एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा ठीक तरह से दर्ज की गई है, अर्थात्, प्रश्न और उत्तर के रूप में है, और जहाँ तक हो सका व्यावहारिक है, घोषणा के वक्ता के शब्दों के अनुरूप है, वह उस मृत्यु कथन की तुलना में बहुत ऊँचे स्तर पर मानी जाती है जो मौखिक परिसाक्ष्य पर निर्भर करती है और जो मानव स्मृति और मानव चरित्र की सभी कमज़ोरियों से ग्रस्त हो सकती है, और (6) कि मृत्यु कथन की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए, न्यायालय को मरने वाले व्यक्ति के अवलोकन के अवसर जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा, उदाहरण के लिए, यदि अपराध रात में किया गया था तो क्या वहाँ पर्याप्त रोशनी थी; क्या उस व्यक्ति के बताए गए तथ्यों को याद रखने की क्षमता उस समय क्षीण को नहीं हुई थी जब वह बयान दे रहा था, कोई ऐसी अन्य परिस्थितियाँ जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं; यदि उसके पास आधिकारिक अभिलेख के अलावा मृत्यु कथन देने के कई अवसर थे, उसका बयान पूरे समय अटल रहा है; और बयान जल्द से जल्द दिया गया था और यह संबंधित पक्षों द्वारा सीखा-पढ़ाया बयान नहीं था।"

17. **पानीबेन बनाम गुजरात राज्य** *(1992) 2 एस.सी.सी. 474* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु कथन से सम्बंधित सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया है:

"18. (i) यह न तो विधि का नियम है और न ही विवेक का कि मृत्यु कथन पर बिना संपुष्टि के कार्रवाई नहीं की जा सकती।

(ii) यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मृत्यु कथन सत्य और स्वैच्छिक है तो वह बिना किसी संपुष्टि के उसे दोषसिद्धि का आधार बना सकती है।

(iii) इस न्यायालय को मृत्यु कथन की सावधानीपूर्वक जाँच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषणा किसी के सिखाने, संकेत या कल्पना का परिणाम नहीं है। मृतक को हमलावरों को देखने और पहचानने का अवसर मिला था और वह बयान देने के लिए उचित स्थिति में था।

(iv) जहाँ मृत्यु कथन संदेहास्पद हो, उस पर बिना संपुष्टि साक्ष्य के कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

(v) यदि मृतक बेहोश था और मृत्यु कथन नहीं दे सका, उस स्थिति में साक्ष्य को खारिज कर दिया जाएगा।

(vi) किसी दोष से ग्रस्त मृत्यु कथन दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता।

(vii) यदि मृत्यु कथन में घटना का कोई विवरण नहीं है, तो इसे मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(viii) समान रूप से, केवल इसलिए कि यह एक संक्षिप्त बयान है, इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, बयान की संक्षिप्तता ही सत्यता की गारंटी देती है।

(ix) आम तौर पर न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या मृतक मृत्यु कथन देने के लिए मानसिक रूप से उचित स्थिति में था या नहीं, चिकित्सा राय पर निर्भर करता है। लेकिन यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अनुसार मृतक मृत्यु कथन देने के लिए स्वस्थ्य और सचेत अवस्था में था, वहाँ चिकित्सकीय राय मान्य नहीं हो सकती।

(x) जहाँ अभियोजन पक्ष का बयान मृत्यु कथन में दिए गए बयान से भिन्न होता है, वहाँ उक्त कथन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।" विकास बनाम महाराष्ट्र राज्य ***I (2008) डी.एम.सी. 692 (एस.सी.) = II (2008) सी.सी.आर. 280 (एस.सी.) = IV (2008) एस.एल.टी. 95 = (2008) 2 एस.सी.सी. 516***, सहित सर्वोच्च न्यायालय के बाद के विनिश्चयों में भी यही मत दोहराया गया है।"

18. **गीता और अन्य बनाम राज्य**, *163 (209) दिल्ली लॉ टाइम्स 268* मामले में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने, अन्य बातों के अलावा, निम्नानुसार कहा है:

"24. मृत्यु कथनों के संबंध में विधि काफ़ी सुव्यवस्थित है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि दोषसिद्धि केवल मृत्यु कथन पर आधारित हो सकती है लेकिन, इससे पहले, मृत्यु कथन का प्रामाणिक और सही होने के साथ-साथ उसकी सत्यता सिद्ध की जानी चाहिए। जहाँ तक मृत्यु कथन की प्रामाणिकता और सत्यता का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि प्रश्नगत मृत्यु कथन , वास्तव में, उसी व्यक्ति द्वारा दिया गया था जिसने अपनी जान गँवाई है। यहाँ तक कि जहाँ यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि दिया गया मृत्यु कथन वास्तव में मृतक द्वारा ही दिया गया था, अभियोजन पक्ष को यह भी स्थापित करना होगा कि बयान सत्य था। निःसंदेह, आमतौर पर यह माना जाता है कि मरने वाला व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में झूठ नहीं बोलता। लेकिन इस वजह से इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ मामलों में ऐसा नहीं होगा। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहाँ नफ़रत या द्वेष के कारण कोई व्यक्ति अपने मरते समय में भी अपने दुश्मन को झूठा फँसा सकता हो। इसकी भी काफ़ी संभावना है कि मृत्यु कथन देने वाला व्यक्ति शायद किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव या नियंत्रण में हो और डर या किन्हीं अन्य कारणों से अपनी मृत्यु से पहले गलत बयान दे। इस बात की भी संभावना है कि कोई व्यक्ति अपने सम्मान और अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए, जिसे वह बचा पाएगा, ऐसे बयान दे सकता है जो पूरी तरह से सही या सत्य नहीं हैं। ऐसी भी संभावना है कि मृत्यु कथन देने वाला व्यक्ति किसी दवा के नशे में हो या अपनी नाज़ुक हालत के कारण मतिभ्रम से पीड़ित हो और इसलिए, उस समय वह जो बयान देता है वह सच्चाई से कोसों दूर हो सकता है। जब यह सभी सम्भावनाएँ दूर कर दी जाएँ और न्यायालय को यह विश्वास और

> मानना हो जाए कि मृत्यु कथन में जो कहा गया है वह सत्य है, तभी संपुष्टि की माँग किए बिना इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। मृत्यु कथन को हमेशा न्यायालय द्वारा जाँच से गुज़रना चाहिए क्योंकि, आखिरकार, यह मात्र एक सुना-सुनाया साक्ष्य है और यह केवल इसलिए स्वीकार्य और प्रासंगिक है क्योंकि कथन देने वाला व्यक्ति अब जीवित नहीं है और उसे परिसाक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता है। साथ ही, न्यायालयों को मृत्यु कथनों को आधार बनाने में सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि बयान देने वाला व्यक्ति उसके सामने नहीं है और न ही बचाव पक्ष के पास उसकी प्रतिपरीक्षा करने का अवसर है। इस प्रकार, हालाँकि कानून का ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह कहता हो कि किसी दंड को केवल मृत्यु कथन पर आधारित नहीं किया जा सकता है, न्यायालय,विवेकानुसार, अन्य पुष्टिकारक सामग्री की तलाश करता है। यदि मृत्यु कथन इतनी उत्कृष्ट और बेदाग गुणवत्ता का है कि यह न्यायालय का विश्वास पूरी तरह से प्राप्त करता है, तो न्यायालय को केवल ऐसे मृत्यु कथन को आधार बनाने और उसके आधार पर दोषसिद्धि करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन, ज़ोर मृत्यु कथन की गुणवत्ता पर होना चाहिए। यदि मृत्यु कथन संदेहास्पद है या उसमें कोई खामी है तो बिना किसी ठोस साक्ष्य के उस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।"

19. इस मामले के उपरोक्त तथ्यों पर विधि के उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, विशेष रूप से ब.सा.1 के परिसाक्ष्य, जो मकान मालिक होने के नाते एक स्वाभाविक साक्षी है, और डी.डी. रिपोर्ट प्रद.अभि.सा.8/क को लागू करते हुए, हमारा विचार है कि निष्पक्ष संपुष्टि की अनुपस्थिति में अभि.सा.18 डॉ. प्रदीप टंडन और अभि.सा.19 उप.नि. वेद सिंह की उपस्थिति में मृतक द्वारा कथित रूप से की गई मृत्यु कथनों को आधार बनाना ठीक नहीं है। हमें ध्यान देना होगा कि मृतक के भाइयों और ननद, अर्थात् अभि.सा.1 से अभि.सा.3 ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

20. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम केवल मृतक की मृत्यु कथन के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखना सही नहीं पाते हैं। हमारा विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए। हम तदनुसार अपील को स्वीकार करते हैं और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंड के परिणामी आदेश को दरकिनार करते हैं। अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।

21. अपीलार्थी ज़मानत पर है। उसके ज़मानत पत्र और प्रतिभू पत्र को प्रभावोन्मुक्त किया जाता है।

न्या. अजीत भरीहोक

25 जनवरी, 2010 **न्या. ए.के. सिकरी**

एस.के./पी.एस.टी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*